बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संचिका सं0–पी0एच0 / बि0ज0स्व0मि0–107 / 2016– 741 दिनांकः– 01/06/2016

संकल्प

विषयः बिहार के शौचालय विहीन परिवारों को लाभार्थी द्वारा घरेलू शौचालय का निर्माण एवं नियमित उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित योजना 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' एवं राज्य योजना संपोषित योजना 'लोहिया स्वच्छता योजना' के कार्यान्वियन हेतु ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की आदत को समाप्त करने तथा स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को अपनी आदतों में शामिल करने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित योजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का क्रियान्वयन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्याः पी.एच./बि.ज.स्व.मि.–1031/2014–1225 दिनांक 29.12.2014 (यथा पुनर्रीक्षित स्वीकृत्यादेश ज्ञापांकः पी.एच./बि.ज.स्व.मि.–1031/2014–367 दिनांक 08.03.2016) के द्वारा किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रावधानों के अंतर्गत सभी BPL परिवारों तथा चिन्हित श्रेणी के APL परिवारों यथा अनुसूचित जाति/जनजाति, बासभूमि के साथ भूमिहीन मजदूर, लघु एवं सीमांत किसान, महिला प्रधान और शारीरिक रूप से विकलांग को घरेलू शौचालय के उपयोग एवं हाथ धोने हेतु जल संधारण की व्यवस्था के साथ घरेलू शौचालय के निर्माण एवं इसके उपयोग के उपरान्त रू. 12000 (बारह हजार रूपये) प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के निर्धारित लक्ष्यों के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (Community Sanitary Complexes) का निर्माण तथा समुदाय आधारित ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन (Solid Liquid Waste Management) परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रावधान के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणी के APL परिवारों के अलावे अन्य श्रेणी के APL परिवार, जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत लाभ नहीं दिया जाता हैं, को भी शौचालय निर्माण एवं इसके उपयोग करने के उपरांत रू. 12000 (बारह हजार रूपया) प्रोत्साहन राशि देने हेतु राज्य योजना मद से संपोषित 'लोहिया स्वच्छता योजना' की स्वीकृत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांकः पी.एच./बि.ज.स्व.मि.–102/2007–1191 दिनांक 05.12.2012 (यथा पुनर्रीक्षित स्वीकृत्यादेश ज्ञापांकः पी.एच./बि.ज.स्व.मि.–102/2007–363 दिनांक 08.03.2016) के द्वारा प्रदान की गई है।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देश पर वर्ष 2012–13 में ग्रामीण स्वच्छता की स्थिति के आकलन हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से आधारभूत पारिवारिक सर्वेक्षण कराये गये हैं, जिसके अनुसार ग्रामीण स्वच्छता की स्थिति अग्रतर वर्णित है–

कुल ग्रामीण परिवार	शौचालय युक्त परिवार	शौचालय विहीन परिवार
21399241	5332736	16064599

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन) के प्रयास से 53,32,736 परिवारों[1] को वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें 39,49,859 परिवार गरीबी रेखा के नीचे और 13,82,877 परिवार गरीबी रेखा से ऊपर के हैं। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शेष 1,60,64,599 परिवारों के लिए स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य अवशेष है (जिलावार विवरण संलग्नः **परिशिष्ट–1**)।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/लोहिया स्वच्छता योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जाता है, जिसके लिए राज्य स्तर पर बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन गठित है। राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बिहार के शौचालय विहीन परिवारों को लाभार्थी द्वारा घरेलू शौचालय का निर्माण एवं नियमित उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित योजना 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' एवं राज्य योजना संपोषित योजना 'लोहिया स्वच्छता योजना' के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित किया जाता है।

उक्त आलोक में ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित कराये जा रहे सभी कार्य सहित केन्द्र प्रायोजित योजना 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' एवं राज्य योजना मद से संपोषित 'लोहिया स्वच्छता योजना' को कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित की जाती है।

लोहिया स्वच्छता योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य समन्वयक का एक पद, सहायक राज्य समन्वयक का दो पद, कम्प्यूटर प्रोग्रामर का एक पद तथा क्षेत्रीय स्तर पर प्रखण्ड समन्वयक के 534 पद एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के 60 पद सृजित है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत सभी जिलों में एक–एक जिला समन्वयक के पद संविदा के आधार पर प्रावधानित हैं।

योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य के सभी 38 जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समितियाँ गठित हैं। समिति के सदस्य सचिव कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल हैं और योजना के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करने के लिए संविदा पर जिला समन्वयक, प्रखण्ड समन्वयक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत हैं। जिला/प्रखण्डों में संविदा आधारित पदों के विरूद्ध 36 जिला समन्वयक 424 प्रखण्ड समन्वयक एवं 60 कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत हैं।

संकल्प निर्गत तिथि के 15 दिनों के अन्दर बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से सभी 38 जिलों में गठित जिला जल एवं स्वच्छता समितियों को ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित सभी दायित्व और कार्यक्रम/योजना यथा–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना तथा कार्यक्रम/योजना की अवशेष राशि, देयता, लेखा अभिलेख एवं इनके तहत कार्यरत संविदा आधारित मानवबल सहित संबंधित संचिकाएं एवं अभिलेखों के साथ ग्रामीण विकास विभाग के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। इसी प्रकार लोहिया स्वच्छता योजना अंतर्गत राज्य मुख्यालय स्तर पर सृजित सभी पद ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित किये जायेंगे।

[1] as on April, 2016 (http://sbm.gov.in)